मानक-शर्तें-

वन अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 731/14 -3- 981/82 दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित

1	भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधनिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और पूर्व की भाति संरक्षित /आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2	प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3	याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग/संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
4	भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए कि मांगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5	हस्तांतरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किए जाने पर संबंधित वन–अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजों का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6	भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वन–अधिकारी की देखरेख में कराएगा तथा इस संबंध में बनाए गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7	हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8	बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन्य जंतुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण, यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाए। केवल अपरिहार्य कारणों से ही किया जाना संभव होगा, परंतु प्रतिबंध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ति एवं वन जंतुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
9	सिंचाई/जल विभाग द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों/ पौधों को वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
10	याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करें अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित करने का वन भूमि एवं बिना किसी के प्रति कर के भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जाएगा। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तांतरित भूमि एवं उस पर निर्मित भवन आदि(आटोमेटिक) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगा।
11	सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग को परामर्श स0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जाएगा तथा इस संबंध में प्रमुख अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पर्वती क्षेत्र पौड़ी को संबंधित पत्र संख्या 608 सी दिनांक 10.02.1982 मे निहित आदेशों का पालन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा कि बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण भी आवश्यक है।
12	वन भूमि का मूल्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा मूल्य संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

29.06.2021
Executive Engineer
Electricity Secondary Works Division
Jhansi

13	वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपर्युक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जाएगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14	हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों में प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर 10 पेड़ों का रोपड़ तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, का भुगतान वन विभाग को करना होगा । 1000 मीटर एवं 30 अंश से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्व है। इस बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15	वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासंभव पेड़ों का कटान ही किया जाएगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जाएगा। यदि इस पर भी पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी, जि।।स पर संबंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16	यदि नहर आदि निर्माण में भू–क्षरण की संभावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो याचक अपने व्यय से स्वयं करेगा।
17	ऊपर लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है, तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18	वन भूमि का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाय जब उक्त शर्तों का कड़ाई से पालन कर लिया जाए अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए।

29.06.2021

अधिशासी अभियंता
विद्युत माध्यमिक कार्यखंड
हाइडिल कॉलोनी, सिविल लाइंस
झांसी–उत्तर प्रदेश–284001

Executive Engineer
Electricity Secondary Works Division
Jhansi